

एन. सी. एल. द्वारा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (सी. पी. पी. के अतिरिक्त) २०१६-१७ -फेज -II (जुन एवं जुलाई २०१६ के लिये) के माध्यम से कोयले की बिक्री की सूचना

NOTIFICATION FOR SALE OF COAL BY NCL THROUGH SPECIAL FORWARD e-AUCTION SCHEME FOR POWER PRODUCERS (EXCLUDING CPP)- 2016-17 PHASE -II (For June & July 2016)

NCL/SGR/Sales/16-17/573

Dated: 13.06.2016

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, म. प्र. स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (सी. पी. पी. के अतिरिक्त) (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ संशोधन दिनांक ११.०.२०१६, १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६ एवं १०.०६.२०१६) सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के माध्यम से "कोयले" की बिक्री का प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें भारत में स्थापित सभी विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos) एवं बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादक भाग ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरिये कोयला प्राप्त कर सकता है। स्कीम के तहत खरीदे गये कोयले को किसी भी स्थिति में हस्तांतरित या पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता है।

Northern Coalfields Limited, Singrauli MP proposes to sell coal through Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers (Scheme Notified dated 31.10.2015) and Special Forward e-auction Scheme for power Producers 2016-17, modified dt 11.04.201, 12.04.2016, 10.05.2016 & 10.06.2016 are available at websites of CIL/NCL and Service Provider i.e. www.coaljunction.in wherein 'All Power Producers (IPPs/State Gencos), including Biomass based power plants already commissioned, desiring supply over a long period can participate for procurement of coal for own consumption only, and not for transfer or re-sale.

ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले के रिजर्व मूल्य का निर्धारण निम्नवत होगा -

विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos) के लिये : रिजर्व मूल्य पॉवर सेक्टर के निर्धारित मूल्य से १०% उपर होगा।

Reserve Price of coal shall be as under:

For power producers (IPPs/State Gencos): The reserve price shall be 10% over the notified price applicable for the Power Sector.

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (सी. पी. पी. के अतिरिक्त) २०१६-१७ फेज -II का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है-

The schedule for sale of coal through electronic bidding through Special Forward e- Auction Scheme for Power Producers (excluding CPPs) from NCL mines is as under:

दिनांक व समय Date & Time	स्रोत Source	मात्रा (मी.टन.) Quantity (MT) रेक संख्या No. of Rakes	ग्रेड/जीसीवी/साइज Grade/GCV/Size	मूल्य (रु./ मि.टन.) Price (Rs/Te)		माध्यम Mode	सेवाप्रदायकर्ता Auctioneering Agency
				Notified Price	Reserve Price		
१६.०६.२०१६ 16.06.16, (Timing will be announced by Service Provider)	जयंत (ईस्ट स्टॉक यार्ड) Jayant (East Stock Yard)	6,40,000	G-10/4301-4600/ (-100mm)	980/-	1078/-	सड़क Road	एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड mJunction Services Ltd.
	बीना Bina	4,80,000	G-10/4301-4600/ Crushed ROM	980/-	1078/-		
	ब्लॉक- बी Block-B	1,80,000	G-7/5201-5500/ Crushed ROM	1600/-	1760/-		
	जयंत (स्पर -१ व्हार्फ वाल साईडिंग) Jayant (Spur-I Wharfwall Siding)	106 Rakes	G-10/4301-4600/ (-100mm)	980/-	1078/-	रेल Rail	
	जयंत (दुधिचुआ व्हार्फ वाल) Jayant (Dudhichua Wharfwall)	55 Rakes	G-10/4301-4600/ (-100mm)	980/-	1078/-		

सड़क माध्यम से खरीदे गये कोयले के मूल्य का समयानुसार भुगतान करने के पश्चात कोयले को उठाने की वैधता उक्त माह से अगले ६ माह तक होगी तथा आखिरी माह की नियत मात्रा के उठाव लिए वैधता अगले ६ माह के उपरांत ४५ दिन तक रहेगी। रेल माध्यम से रेक अलाटमेंट लेने की वैधता माह की किश्त जमा करने के अंतिम दिन से ३० दिन तक रहेगी जबकि सप्ताई रेलवे के नियमों के अनुसार होगी। प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिये कृपया स्कीम पढें।

Validity period of all road borne lifting shall be till the end of 6 months for lifting of coal against booking of each month. The validity period for lifting of coal shall be 45 days more than the period of 6 months for payment against the last month of the 6 months period, provided the coal value is paid against the Bid Quantity in due time. However in case of supply by Rail Mode validity for taking allotment will be within 30 days of the last date of paying instalments of coal value for the month. The supply, however, will be made as per extant Railway rules.

Pre-requisite conditions for participation in Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers excluding CPPs (Scheme Notified dated 31.10.2015 and Special Forward e-auction Scheme for power Producers 2016-17, dt 11.04.201, 12.04.2016, 10.05.2016 & 10.06.2016) are as follows:

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ११.०४.२०१६, १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६ एवं १०.०६.२०१६) सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये शर्तें/योग्यताये निम्नवत है:-

1. पंजीयन/Registration:

उपभोक्ता को स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर में भाग लेने के लिये स्वयं को सेवा प्रदायकर्ता जो कि सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड है से पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीमके खंड २ एवं ३ के अनुसार है। उपभोगता पंजीकरण श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड के साथ १४.०६.२०१६ तक करवा सकते हैं। पंजीकरण सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये कृपया श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेडकी वेबसाइट www.coaljunction.in पर जायें।

Consumers can participate in Special Forward e-Auction by registering themselves with the respective Auctioneering Agency i.e. M/s mJunction Services Limited as per Clause no. 2&3 of Special Forward e-Auction Scheme. For more details kindly log on to website of Service Provider i.e. www.coaljunction.in. **Eligible buyers may register themselves with Service Provider till 14.06.2016.**

2. प्रभावी कर तथा अन्य टैक्स, रिजर्व मूल्य के अतिरिक्त देय होगा।

Reserve prices are excluding levies and statutory charges as applicable.

3. EMD की राशी ऑक्सन के पूर्व सेवा प्रदायकर्ता के पास जमा करना होगा। EMD की राशी विक्रय के लिये दिये गये कोयले के रिजर्व मूल्य के १०% के बराबर होगा।

All interested registered consumers shall be required to deposit in advance non-interest bearing EMD with respective Service Provider for such an amount as would cover 10% of the reserve price (of e-Auction concerned) for intended bid quantity in terms of basic price of coal.

4. स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीममें न्यूनतम बिड मात्रा सड़क के माध्यम से ४००० टन एवं इसके पश्चात ४००० टन के गुणक में होगी।

Minimum Bid quantity shall be 4000 MT and in multiple thereafter for a source by Road Mode.

5. कोयले के मूल्य का भुगतान/Deposition of Coal Value:

सफल बोलीकर्ता कोयले के मूल्य का भुगतान निम्नलिखित किसी एक एन.सी.एल., सी.एस.आर. खाते में आर.टी.जी.एस./इ.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से करेगा,

Successful Bidders shall deposit Coal value in any of the following NCL CSR accounts through Draft/RTGS/ECS/Banker's Cheque at the office of General Manager (S&M), NCL Singrauli at the following banks.

क्रमांक S.No.	बैंककानाम Name of the Bank	शाखा Branch	आई.ए फ.एस. कोड IFS code	खातासंख्या Account No.
1	भारतीयस्टेटबैंक State Bank of India	मोरवा Morwa	SBIN0003767	10773219417
2	इलाहाबादबैंक Allahabad Bank	मोरवा Morwa	ALLA0210254	50066405613
3	यूनियनबैंकऑफइंडिया Union Bank of India	मोरवा Morwa	UBIN0539171	391701010129658
4	एक्सिस बैंक Axis Bank	मोरवा Morwa	UTIB0001725	915020064361678

6. प्रत्येक सफल बोली के लिये फाईनेन्सियल कवरेज की राशी महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में ऑक्सन तिथि के बाद से उपलब्ध रहेगी।

All the prospective buyers may please note that the value of Financial coverage for each successful bid will be available at office of General Manager(S&M), NCL, Singrauli after e-auction.

7. उपभोक्ताऑक्सन तिथि से ७ दिनों के अंदर अपने द्वाराबुककीगयीकोयलेकीमात्रा का माहवार विभाजन (दो माहजून, एवं जुलाई) कोल कम्पनी कोजमा करेगा। उपभोक्ता अपने अनुसार,माह में आवंटित की गयी कोयले की मात्रा का भुगतान २ किस्तों में कर सकता है। उपभोक्ता को पहली किस्त का भुगतान हर माह के पहले १० कार्यदिन के अंदर करना होगा और दूसरी किस्त का भुगतान उक्त माह केअंत तक करना होगा। कोयलेकीमात्रा का माहवार (जून, एवं जुलाई) विभाजन कोल कम्पनी एवं उपभोक्ता के पारस्परिक निर्णय से होगा।

(विगतकुछई-ऑक्सनकेदौरानविफलहुयेलेन-देनकोध्यान में रखतेहुयेएन.सी.एल. अपनेग्राहकोसेनिवेदनकरताहैकिग्राहकअपनेबैंकसेलेन-देनकेपश्चातलेन-देनकीसफलताकीजानकारीअवश्यलें. एन.सी.एल. किसीभीप्रकारसेगलतयाविफललेन-देनकाजिम्मेदार नहीं होगा.)

Time for depositing the Coal Value:Bidders after successful bidding will give a declaration to respective coal company on distribution of quantity bided in two monthly installment in June' 16 and July' 16 (period of auction of Phase-II)within 7 days from date of auction.

Payment of Coal value to be made on monthlybasis in two instalments asper bidder's choice. The first instalment shall be deposited within 10 working days from the starting of the month and the second instalment by the end of that particular month.

(In view of the frequent transaction failure during last few e-auctions, customers are requested to confirm remittance of coal value with their respective banks. NCL will not be responsible for any wrong/failed transaction.)

(B) नोट: ई-ऑक्सन में भाग लेने से पहले बोलीकर्ता निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें-

Note: Before taking part in NCL's e-Auction, Bidders are to note that,

- (अ) बोलीकर्ता स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५) एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ११.०४.२०१६, १२.०३.२०१६, १०.०५.२०१६ एवं १०.०६.२०१६) के सभी नियम एवं शर्तों से बाध्य होगा। Bidder has to abide by all terms and conditions of Special Forward e-Auction Scheme dt 31.10.2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016, 12.04.2016, 10.05.2016 & 10.06.2016.
- (आ) बोलीकर्ता बोली लगाने से पूर्व स्वयं को ई-ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले की गुणवत्ता से संतुष्ट कर ले। Before participating in e-Auction, Bidder must satisfy themselves with the quality and grade of coal being offered from a source.
- (इ) FSA के तहत कोयला लेने वाले विद्युत उत्पादकों को मिलने वाली थर्ड पार्टी सैम्पलिंग की सुविधा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम सफल बोलीकर्ता को उसके लिखित अनुरोध पर दी जायेगी। ग्रेड में होने वाले किसी भी गिरावट/सुधार के सापेक्ष डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किये जायेंगे। Third party sampling facility currently in vogue for the FSA consumers with the Power Producers (IPP/SEB) shall be available to successful bidders under Special Forward e-Auction, if requested in writing to the supplying coal company. Debit /credit notes shall be issued in case of grade slippage/improvement.
- (ई) इस नोटिस के विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के संशय होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। English version will be valid in case of any confusion in this notice.

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर, फेस-१ अधिसूचना दिनांक ११.०४.२०१६, १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६ एवं १०.०६.२०१६) सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Apart from the above, bidders are governed by all other terms & conditions of CIL/NCL's Special Forward e-Auction Scheme-2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016, 12.04.2016, 10.05.2016 & 10.06.2016. The same is available in NCL's & Service Provider's website i.e. www.ncl.gov.in & www.coaljunction.in.

अन्य किसी जानकारी के लिये कृपया सेवा प्रदायकर्ता से सम्पर्क करें।

For any further clarification, please contact Auctioneering Agency:

सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

M/s mJunction Services Limited: फोननं/Phone No. 033 22882606, फैक्सनं /Fax No. 033-22883536

ई-मेल /E Mail address: contactus@metaljunction.com

पता/Postal address:

सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, गोदरेज वाटर साइड, तीसरा तल, टॉवर 1, प्लॉट V, ब्लॉक DP, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकता - 700091, पश्चिम बंगाल.
M/s mjunction Services Limited, Godrej Water Side, 3rd Floor, Tower 1, Plot V, Block DP, Sector V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal.

ई-ऑक्सन का विवरण सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड व एन. सी. एल. की वेबसाइट www.coaljunction.in व www.ncl.gov.in पर उपलब्ध है।

Details of e-Auction are displayed on website of Auctioneering Agency, M/s mJunction Services Limited's Website www.coaljunction.in. Details are also displayed on NCL website - www.ncl.gov.in

एन.सी.एल. प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-ऑक्सन स्कीम या इसके किसी नियम या शर्त जिसमें प्रस्तावित ऑक्सन के कोयले की मात्रा भी है को समाप्त या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

NCL management reserves the right to withdraw e-auction scheme or change/amend any of the terms and conditions including the quantity offered, without assigning any reason thereof.

महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन)
General Manager(S&M)
एन.सी.एल. सिंगरीली
NCL, Singrauli